

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- /01/2026

विषय:- श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-316/24, आप्त सचिव (सरकारी), श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल-सह-सदस्य, बिहार विधान परिषद् मुख्य प्रवक्ता, जनता दल (यू0), बिहार के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक-19.11.2025 के प्रभाव से बिहार विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-814 दिनांक-18.11.2025 के आलोक में श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-316/24 द्वारा दिनांक-19.11.2025 के अपराहन में आप्त सचिव (सरकारी), श्री कृष्ण कुमार मन्दू, माननीय मंत्री सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार त्याग कर दिनांक-20.11.2025 के पूर्वाहन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान दिया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-24074, दिनांक-29.12.2025 द्वारा श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0 को श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल-सह-सदस्य, बिहार विधान परिषद् मुख्य प्रवक्ता, जनता दल (यू0), बिहार के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर पदस्थापित किया गया।

उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक-29.12.2025 के अपराहन में संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान दिया गया।

3. संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-11, दिनांक-07.01.2026 के आलोक में श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-316/24 द्वारा दिनांक-08.01.2026 के पूर्वाहन में आप्त सचिव (सरकारी), श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल-सह-सदस्य, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना के पद पर स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया।

4. इस प्रकार श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-316/24, दिनांक-20.11.2025 से दिनांक-07.01.2026 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे।

5. अतः श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0-316/24 आप्त सचिव (सरकारी), श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल-सह-सदस्य, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना का दिनांक-20.11.2025 से दिनांक-07.01.2026 तक की अनिर्णीत अवधि को निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जाता है:-

(क) दिनांक-20.11.2025 से दिनांक-29.12.2025 तक-मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ख) दिनांक-30.12.2025 से 07.01.2026 तक-बिहार सेवा संहिता के नियम-255 के तहत पद ग्रहण काल विस्तार के रूप में।

उक्त अवधि में श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0 को कोटि वेतन देय होगा।


6. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1278/2025- 1233 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 22/01/2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग,
बिहार, पटना/श्री सुबोध कुमार, बि0प्र0से0, आप्त सचिव (सरकारी), श्री नीरज कुमार, माननीय
सचेतक, सत्तारूढ़ दल-सह-सदस्य, बिहार विधान परिषद्, पटना/सम्बन्धित कोषागार
पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।